राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल,राजस्थान,जोधपुर
डब्ल्यू–6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर, फोन नं. 0291–2430440, 263657
Web Site www.techedu.rajasthan.gov.in ई मेल bter.jodhpur@rajasthan.gov.in

कमांक एफ 4(152S) प्राशिंम / पाविप्र / 2022–23 / 6596 दिनांक 12 NOV 2024

प्रधानाचार्य,
समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय (इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग)
द्वारा ई मेल।

विषय :– सेमेस्टर पद्धति में मेरिट निर्धारण के नियम के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, जयपुर के पत्रांक एफ 1(10)तशि / 2024–01844 जयपुर, दिनांक 08.11.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थियों की मेरिट निर्धारण के नियम संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया सभी सम्बन्धित को सूचित करावें तथा महाविद्यालय के Notice Board एवं Website पर इसे चस्पा करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

sd

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांक एफ 4(152S) प्राशिंम / पाविप्र / 2022–23 / दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को वास्ते सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, ई–2, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक (सामान्य), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. विभागाध्यक्ष, (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. प्रभारी– परीक्षा शाखा / गोपनीय शाखा / कम्प्यूटर शाखा / सामान्य शाखा / पुस्तकालय प्राशिमं.,जोधपुर ।
8. श्री सतीश नाथ, नोडल ऑफिसर (Website) प्राशिमं., जोधपुर को भेजकर लेख है कि इस पत्र को मण्डल की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित करावें।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

Signature valid
Digitally signed by Alok Bansal
Designation: Joint Director
Date: 2024.11.12 10.18:02 IST
Reason: Approved

प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर

<u>डिप्लोमा सेमेस्टर पद्धति में योग्यता सूची बनाने के नियम</u>

1. प्रवेश सत्र की प्रथम पंजीकरण तिथि से मंडल द्वारा आयोजित सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं में निरंतर सम्मिलित होते हुए, प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा के सभी कोर्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि में एक ही प्रयास में उत्तीर्ण कर डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही योग्यता सूची में स्थान पाने के योग्य होंगे.
2. योग्यता सूची में स्थान पाने के लिए विद्यार्थियों का कम से कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है.
3. योग्यता सूची में विद्यार्थियों की संख्या, शैक्षणिक सत्र में डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का 10 प्रतिशत, अधिकतम 10 व न्यूनतम 01 होगी. लेकिन नियम संख्या 4 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र में डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 से कम होने की स्थिति में योग्यता सूची में विद्यार्थियों की संख्या शून्य होगी अर्थात योग्यता सूची ज़ारी नहीं की जाएगी.
4. शैक्षणिक सत्र में डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 3 से 5 होने की स्थिति में नियम संख्या 1 से 3 के अनुसार योग्यता सूची में केवल 1 ही विद्यार्थी होगा.
5. योग्यता सूची का निर्धारण सभी सेमेस्टर के कुल प्राप्त "Absolute Total Marks" के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा. योग्यता सूची में प्रथम एवं/अथवा द्वितीय स्थान पाने वाले एक से अधिक विद्यार्थियों के कुल "Absolute Total Marks" के प्रतिशत के समान होने की स्थिति में अंतिम सेमेस्टर के "Absolute Total Marks" को वरीयता देकर तथा अंतिम सेमेस्टर के "Absolute Total Marks" के भी समान होने की स्थिति में जन्मतिथि को वरीयता देकर योग्यता सूची ज़ारी की जाएगी.
6. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने के स्थिति में अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा.

Signature valid

Digitally signed by Alok Bansal
Designation: Joint Director
Date: 2024.11.12 16:19:01 IST
Reason: Approved